न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 14/2022
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार ।। (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 28.10.2024

1. रामगोपाल पुत्र बालू जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र रामनिवास तिवाडी जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. तहसीलदार तहसील फागी जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील प्रार्थी
श्री हनुमान सहाय सिहाग वकील अप्रार्थी सं0 1
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 28.10.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 536 के आराजी खसरा नम्बर 3428/3 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है, जिसका एकमात्र प्रार्थी राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी के लगवा ही ग्राम फागी उत्तर के खसरा नं. 3428/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त आराजी की आड में प्रार्थी की आराजी को हडपने की फिराक में है। उक्त आराजी को वाद पत्र में विवादित आराजी से संबंधित किया गया है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर गैर मुमकिन चाह उपयोग उपभोग करता आ रहा है। तथा सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर डोल लगा रखी है इस प्रकार खसरा नं. 3428/3 व 3428/1 की भूमि से अप्रार्थी सं. 1 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नं. 3428/1 में मौके पर पानी के बहाव का नाला बना हुआ है जिसके आगे अप्रार्थी सं. 1 ने खसरा नं. 3428/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म चारागाह में अवैध अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहा है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 का उक्त आराजी पर अनाधिकृत रूप से काश्तकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुये चारागाह भूमि को अपनी बताकर अवैध पुख्ता निर्माण कर करने पर आमादा है। जिसके चलते अप्रार्थी सं. 1 ने पुख्ता निर्माण करने हेतु निर्माण सामग्री मौके पर डाल दी है। प्रार्थी सीधा–साधा एवं शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो कानून में अपना पूर्ण विश्वास रखता है

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(2)

तथा अप्रार्थी सं. 1 झगडालु एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसने नाजायज रूप से चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर आये दिन प्रार्थी से उक्त आराजी पर निर्माण को लेकर लड़ाई–झगड़ा करता रहता है जिसका अप्रार्थी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा लाठी के जोर पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी व चारागाह भूमि पर कब्जा करने की नियत से जबरन प्रार्थी को अकेला मानकर अप्रार्थी सं. 1 ने वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 3428/1 में स्थित पानी के निकासी के नाले को मिट्टी से भरकर बंद कर मौके पर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है। तथा प्रार्थी के खसरा नं. 34287/3 की सीमाओं को तोडकर पानी के नाले को प्रार्थी की गैर मुमकिन चाह की तरफ बढ़ाने पर आमादा है जिससे कि प्रार्थी का गैर मुमकिन चाह का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करता हुआ आ रहा है। उक्त गैर मुमकिन चाह व चारागाह भूमि में पुख्ता निर्माण करने का अप्रार्थी सं. 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि प्रार्थी खसरा नं. 3428/3 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी सं. 1 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कानूनी सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 की नियत में फीतूर है और वह ऐनकेन प्रकार से प्रार्थी की उपर्युक्त आराजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बाधा उत्पन्न कर तथा प्रार्थी को अकेला मानकर जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने पर उतारू है जबकि अप्रार्थी सं. 1 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त के संबंध में राजस्व कार कानूनगों व अप्रार्थी सं. 2 को अवगत करवाया तो उन्होंने ने न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कह दिया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थी दिनांक 03.03.2022 को अपनी उक्त गैर मुमकिन चाह की भूमि को संभालने गये तो अप्रार्थी सं. 1 अपने उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर जे.सी.बी. मशीन लेकर आये व प्रार्थी की खातेदारी भूमि की दक्षिणी–पश्चिमी दिशा की डोल को तोडने की बात करने लगे व पुख्ता निर्माण सामग्री पास में ही खाली करवा दी प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे व डोल की बात कही व चारागाह भूमि का सीमाज्ञान करवाने के कहा तो अप्रार्थी सं. 1 लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गया तथा जबरन कब्जा करने की नियत से मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी प्रार्थी ने उनका विरोध किया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व उसके साथ आयें कुछ अजनबी भू.माफिया गिरोह के लोग ओर अधिक उग्र हो गये और ऐलानिया धमकी दी की मौका पाकर कभी भी रातोंरात पुख्ता निर्माण कर चारागाह भूमि के साथ तुम्हारी गैर मुमकिन चाह पर भी कब्जा करके रहेंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवश्यक हुआ कि वह अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये।

लगातार.............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अप्रार्थी सं. 1 अपने मनसुबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को उसकी गैर मुमकिन चाह की भूमि से वंचित होना पडेगा व्यर्थ में मुकदमे बाजी बेढंगे तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री हनुमान सहाय सिहाग उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं0 1 ओर से जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खंण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार फागी से प्रार्थी को किसी प्रकार को कोई अनुतोष नहीं चाहा है अतः अप्रार्थी सं. 2 की तामिल बन्द की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस हेतु समय चाहा। बावंजूद बहस हेतु अवसर देने पर प्रार्थी अधिवक्ता बहस से गैर हाजिर रहे।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो का खण्डन करते हुये बताया की प्रार्थी ख0न0 3428/3 का रिकार्डेड खातेदार है। जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष ख0न0 3428/1 के सम्बन्ध मे है जिसका राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट ळै कि उक्त ख0न0 चारागाह दर्ज है एवं अप्रार्थी सं0 1 का मकान व दुकान ख0न0 3428/2 आबादी भूमि मे स्थित है। जिसके अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 15.04.2021 को क्रय की गई थी। प्रार्थी को ख0न0 3428/1 के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतयः तीन बिन्दुओं पर किया जाता है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूर्णीनीय क्षति की

प्रथम दृष्टया केसः– मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 536 मे प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जबकि मुताबिक जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.....4

(4)

सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 926 के ख0न0 3428/1 किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है। सलग्न नजरी नक्शानुसार प्रार्थी ख0न0 3428/1 का पडौसी खातेदार है। जबकि प्रार्थी की आराजी व ख0न0 3428/1 के लगवा ख0न0 3428/2 किस्म गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित ख0न0 3428/1 किस्म चारागाह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रार्थी को चारागाह की आराजी मे पाबन्द करवाने का अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थी ख0न0 3428/1 का रिकार्डेड खातेदार नही है एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अनुतोष भी ख0न0 3428/1 के सम्बन्ध मे चाहा गया है। जिसको प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नही है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

सुविधा का सन्तुलनः– अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त आराजी चारागाह होने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अपूणीनीय क्षतिः– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित ख0न0 3428/1 किस्म चारागाह दर्ज है। चारागाह आराजी पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। अतः अपूर्णीनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/X/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर